

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्री राम रतन सौकरिया, आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर 30/2024

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोपाल सैनी, मैसर्स गोपाल होटल एण्ड पैलेस, इण्डाली मोड़
के सामने, रोड़ नम्बर 03, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थिति:-

1. आवेदक की ओर सेआवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर सेअनावेदक स्वयं।

-निर्णय-

दिनांक : 16/8/24

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है:- कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आवंटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 16.05.2024 को मैसर्स गोपाल होटल एण्ड पैलेस, इण्डाली मोड़ के सामने, रोड़ नम्बर 03, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोपाल सैनी उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनावेदक ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर एक फ्रिज में प्लास्टिक की बाल्टी में करीबन 05 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ पनीर में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक को गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन को हस्ताक्षर

ADL

अधीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू


करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ पनीर के सबस्टैण्डर्ड फूड (Sub-Standard and the sample is also food containing extraneous matte (Foreign fat) under section 3(1)(i)) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी दुकान गोपाल होटल एण्ड पैलेस, इण्डाली मोड़ के सामने रोड़ नम्बर 03 से खाद्य पदार्थ पनीर का सैम्पल लिया गया था उसमें कोई मिलावट नहीं पाई गई है। प्रार्थी स्वयं पनीर नहीं बनाता है। वह बड़े व्यापारियों से पनीर खरीदकर बेचान करता है। अनावेदक ने कथन किया कि वह आगे से अच्छी क्वालिटी के पनीर का उपयोग करेगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।


मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1975/एक्ट/2024/2010 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर सब-स्टैण्डर्ड फूड (Sub-Standard and the sample is also food containing extraneous matte (Foreign fat) under section 3(1)(i)) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक उक्त खाद्य पदार्थ पनीर किसी अन्य व्यापारी से खरीद का कोई बिल व रसीद आदि प्रस्तुत नहीं किये है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर सब-स्टैण्डर्ड फूड (Sub-Standard and the sample is also food



containing extraneous matter (Foreign fat) under section 3(1)(i) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री मोहन लाल पुत्र श्री गोपाल सैनी, मैसर्स गोपाल होटल एण्ड पैलेस, इण्डाली मोड़ के सामने, रोड़ नम्बर 03, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 50,000/- अक्षरे पचास हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को भिजवाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राम रतन सैनी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुन्झुनू।